उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई अनुभाग-4
संख्या-2953/11-27-सिं-4-08(जल)/82
लखनऊः दिनांकः 15 जुलाई, 2011

कार्यालय-ज्ञाप

सिंचाई विभाग द्वारा अकृषिकारी उपयोग हेतु विभिन्न उपभोक्ताओं को जल उपलब्ध कराने के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्या-1056सख/85-23-सिं-3 दिनांक 16-04-85 द्वारा नीति निर्धारित करते हुए जल मूल्य/रायल्टी की दर निर्धारित की गयी थी। उक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर-5 के उप प्रस्तर-2 में रायल्टी 50,000 रूपये प्रति क्यूरोक प्रतिवर्ष निर्धारित की गयी थी। कालान्तर में अकृषिकारी उपयोग हेतु पानी की मांग औद्योगिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र में होने तथा कामतों में पर्याप्त वृद्धि हो जाने के कारण कार्यालय ज्ञाप संख्या-1192/98-27-सिं-4-5(डब्लू)/98 दिनांक 26-05-1998 द्वारा अकृषिकारी उपयोग हेतु पानी की रायल्टी दर 50,000 रूपये प्रति क्यूसेक प्रति वर्ष से बढ़ाकर रूपया 1,50,000 प्रति क्यूसेक प्रति वर्ष पुनरीक्षित किया गया था।

2- उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन एवं नियामक आयोग द्वारा अकृषिकारी उपयोग हेतु रायल्टी/जल मूल्य एवं अतिरिक्त जल मूल्य/जल कर की वर्तमान दरों में चार गुना वृद्धि किये जाने के संबंध में प्रदान की गयी सहमति के आलोक में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के पत्र संख्या-562/अनिमं-8/यू-6/जी-3 दिनांक 18-11-10 द्वारा रायल्टी/जल मूल्य की दर रूपये 1,50,000 प्रति क्यूसेक प्रति वर्ष में चार गुना वृद्धि करते हुए जल मूल्य की दर रूपये 6,00,000 प्रति क्यूसेक प्रति वर्ष एवं अतिरिक्त जल मूल्य/जल कर की वर्तमान प्रचलित दर रूपये 3.12 (तीन रूपये बारह पैसे मात्र) में चार गुना वृद्धि करते हुए रूपये 12.48 (बारह रूपये अड़तालिस पैसे मात्र) प्रति हजार घन फुट किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया है।

3- अतः उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय अकृषिकारी उपयोग हेतु पानी की रायल्टी दर रूपये 1,50,000 (एक लाख पचास हजार रूपये) प्रति क्यूसेक प्रति वर्ष में चार गुना वृद्धि करते हुए रूपये 6,00,000 (छः लाख रूपये) प्रति क्यूसेक/प्रति वर्ष एवं जल कर हेतु रूपये 3.12 (तीन रूपये बारह पैसे मात्र) में चार गुना वृद्धि करते हुए रूपये 12.48 (बारह रूपये अड़तालिस पैसे मात्र) प्रति हजार घन फुट वृद्धि किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

किशन सिंह अटोरिया
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- निदेशक, एन0आई0सी0 छठां तल योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस कार्यालय ज्ञाप को सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन के वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(जय विलास)
संयुक्त सचिव।